मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– श्री रणजीत कुमार आरएएस
मुकदमा संख्या :– 227/2022
अनवान मुकदमा –

1. बलकरण सिह पुत्र श्री बख्तावर सिह जाति जट सिख साकिन खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
2. जसवीर कौर पत्नी श्री बख्तावर सिह जाति जट सिख साकिन खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

–– वादीगण

बनाम

1. बख्तावर सिह पुत्र श्री रामचन्द सिह जाति जट सिख साकिन खरलिया तहसील पीलीबगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. मिनू कौर पुत्री बख्तावर सिह पत्नी श्री जसकरण सिह जाति जट सिख साकिन गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)।
3. राजपाल कौर पुत्री बख्तावर सिह जाति जट सिख साकिन खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

– – प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा :–

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 14/06/2022

वादी की ओर से श्री अशोक कुमार, एडवोकेट एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से श्री अशोक चिराणिया, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार आरएएस उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 14 एल.जी.डबल्यू. ए के खाता संख्या 61/52 के प.न. 4/290(18) के किला न. 1 ता 10, 13/2/0.127, 14, 15, की 3.163 हैक0 व इसी खाता के प.न. 5/292(32) किला न. 3/2/0.114, 3/3/0.013, 8, 13, 17/2/0.075, 18, 23/0.164, 24/0.126 की 1.251 हैक0 इसी तरह दोनो पत्थरो की कुल 4.414 हैक0 नहरी मय. गै. मु. खाला खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी न. 1 का 1/2 हिस्सा यानी 2.207 हैक0 नहरी खातेदारी कृषि में से वादीगण न. 1 ता 2 को 1/3, 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:09:41 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को सूचित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं है नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

14/06/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह आदेश आज दिनांक।५।०६।२०२२को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/06/2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:09:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- श्री रणजीत कुमार आरएएस

मुकदमा संख्या :- 227/2022

अनवान मुकदमा –

1. बलकरण सिह पुत्र श्री बख्तावर सिह जाति जट सिख साकिन खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
2. जसवीर कौर पत्नी श्री बख्तावर सिह जाति जट सिख साकिन खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

-- वादीगण

बनाम

1. बख्तावर सिह पुत्र श्री रामचन्द सिह जाति जट सिख साकिन खरलिया तहसील पीलीबगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. मिनू कौर पुत्री बख्तावर सिह पत्नी श्री जसकरण सिह जाति जट सिख साकिन गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)।
3. राजपाल कौर पुत्री बख्तावर सिह जाति जट सिख साकिन खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

– – प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा :–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री अशोक कुमार अधिवक्ता --- वादीगण
2. श्री अशोक चिराणिया अधिवक्ता --- प्रतिवादी सं. 1 ता 3

–:: निर्णय :–

दिनांक –15/06/2022

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी का रजिस्टर्ड पता वाद–पत्र के मुग्ख्य प्रष्ठ पर जो दर्ज है वही माना जावे।

वादाधीन पैत्रिक कृषि भूमि वर्तमान में वाके तहसील पीलीबंगा के चक 14 एल.जी.डबल्यू. ए के सयुक्त खाता संख्या 61/52 के प.न. 4/290(18) के किला न. 1 ता 10, 13/2/0.127, 14, 15, की 3.163 हैक0 व इसी खाता के प.न. 5/292(32) किला न. 3/2/0.114, 3/3/0.013, 8, 13, 17/2/0.075, 18, 23/0.164, 24/0.126 की 1. 251 हैक0 इसी तरह दोनो पत्थरो की कुल 4.414 हैक0 नहरी मय. गै. मु. खाला खातेदारी कृषि भूमि मे प्रतिवादी न. 1 का 1/2 हिस्सा यानी 2.207 हैक0 कृषि भूमि बख्तावर सिह पुत्र श्री रामचन्द सिह जाति जट सिख साकिन खरलिया तहसील पीलीबगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान दर्ज पटवार माल वाके है। अपने उक्त कथनो की पुष्टी मे जमाबन्दी सम्वत 2075 – 2078 वादीगण द्वारा पेश कर संलग्न किया गया है।

वादीगण एव प्रतिवादीगण हिन्दु अविभक्त परिवार के सदस्य है। वाद पत्र कि मद संख्या 2 में अंकित वादाधीन रकबा संयुक्त परिवार का मुखिया होने के कारण उक्त वादाधीन रकबा वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी नं. 1 के नाम से अंकित है। वादीगण के परिवार की वृक्षवृक्षावली पेश की गई है।

उक्त वादाधीन कृषि भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है। उक्त वादाधीन पैत्रिक कृषि भूमि पर वादीगण का भी जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:09:41 IST
Reason: SelfAttested

15/06/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रतिवादी नं. 2 जो कि विवाहित है उनके विवाह में पैत्रिक कृषि भूमि की आय से पूर्ण खर्च किया हुआ है एंव प्रतिवादी नं0 3 अपनी स्वैच्छा से उक्त कृषि भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हिस्सा प्राप्त करने की इच्छुक भी नहीं है। उक्त समस्त पैत्रिक कृषि भूमि वादीगण एंव प्रतिवादी नं. 1 के नाम करवाने को सहमत है। अर्थात प्रतिवादी न. 2 व 3 प्रत्येक का हक व हिस्सा वादी एंव प्रति न. 1 के समान उक्त पैत्रिक कृषि भूमि में निहित है अपनी स्वेच्छा से वादीगण एंव प्रतिवादी न. 1 के पक्ष में ब हिस्सा बराबर बराबर समान रूप से परित्याग कर दिया है तथा किसी भी प्रकार का कोई हक व हिस्सा भूमि प्राप्त करने की इच्छुक नही है।

वाद पत्र कि मंद संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि वादीगण कि पैत्रिक कृषि भूमि है। इस पैत्रिक कृषि भूमि को वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाने हेतु वादीगण ने यह वाद पत्र पेश किया है। इसलिए वाद पत्र कि मंद संख्या 2 में दर्ज कृषि भूमि वाके चक 14 एल.जी. डबल्यू. ए के खाता संख्या 61/52 के प.न. 4/290(18) के किला न. 1 ता 10, 13/2/0.127, 14, 15, की 3.163 हैक0 व इसी खाता के प.न. 5/292(32) किला न. 3/2/0.114, 3/3/0.013, 8, 13, 17/2/0.075, 18, 23/0.164, 24/0.126 की 1.251 हैक0 इसी तरह दोनो पत्थरो की कुल 4.414 हैक0 नहरी मय. गै. मु. खाला खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है जिसमे प्रतिवादी न. 1 का 1/2 हिस्सा यानी 2.207 हैक0 नहरी खातेदारी कृषि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मे वादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक 1/3, 1/3 हक व हिस्सा भूमि प्राप्त करने के हकदार है तथा शेष 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी न. 1 के नाम दर्ज की जावे अर्थात वादीगण एंव प्रतिवादी न. 1 के नाम ब हिस्सा बराबर बराबर 1/3, 1/3 हक व हिस्सा होने की घोषणा स्वीकार फरमाई जावे।

अतः वाद वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वाद वादी स्वीकार कर जरीये डिक्री निम्नलिखित अनुतोष प्रदान कराए जावेः–

वादी (बलकरण सिह, जसवीर कौर) को घरू बंटवारा मे राजस्व तहसील पीलीबंगा के तहसील पीलीबंगा के चक 14 एल.जी.डबल्यू. ए के खाता संख्या 61/52 के प.न. 4/290(18) के किला न. 1 ता 10, 13/2/0.127, 14, 15, की 3.163 हैक0 व इसी खाता के प.न. 5/292(32) किला न. 3/2/0.114, 3/3/0.013, 8, 13, 17/2/0.075, 18, 23/0.164, 24/0.126 की 1.251 हैक0 इसी तरह दोनो पत्थरो की कुल 4.414 हैक0 नहरी मय. गै. मु. खाला खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है जिसमे प्रतिवादी न. 1 का 1/2 हिस्सा यानी 2.207 हैक0 नहरी खातेदारी कृषि मे से वादीगण न. 1 ता 2 के नाम 1/3, 1/3 हिस्सा भूमि व शेष 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी न. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किए जाने की घोषणा स्वीकार फरमाई जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 3 मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष के वकीलों द्वारा पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये [illegible] की गई। पहचान सिद्व होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:09:41 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है।

एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो

14/06/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

-:: आदेश ::-

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 3 की पैतृक खातेदारी भूमि है जो जद्दी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 14 एल.जी.डबल्यू. ए के खाता संख्या 61/52 के प.न. 4/290(18) के किला न. 1 ता 10, 13/2/0.127, 14, 15, की 3.163 हैक0 व इसी खाता के प.न. 5/292(32) किला न. 3/2/0.114, 3/3/0.013, 8, 13, 17/2/0.075, 18, 23/0.164, 24/0.126 की 1.251 हैक0 इसी तरह दोनो पत्थरो की कुल 4.414 हैक0 नहरी मय. गै. मु. खाला खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी न. 1 का 1/2 हिस्सा यानी 2.207 हैक0 नहरी खातेदारी कृषि में से वादीगण न. 1 ता 2 को 1/3, 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

14/06/2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:09:41 IST
Reason: SelfAttested